शि.नारा.प्र.क्र-2130

[6/8/2025]

प्रश्न सं. [क्र. 2130]

(3) 1

फोन :- 07582-221000

फैक्स :- 07582-222070, 224843

dmsagar@nic.in

परिशिष्ट-एक

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सागर (म.प्र.)

OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE SAGAR (M.P.)

क्रमांक / /शि.शा./2023 सागर, दिनांक / /2023

प्रति,

कलेक्टर,
जिला सागर

विषय:— **शिकायत विरूद्ध श्रीमती माया तिवारी, माध्यमिक शिक्षक शा.उ.मा.मि. बरारू (माध्यमिक विभाग) सागर की फर्जी नियुक्ति के संबंध में जांच प्रतिवेदन।**

संदर्भ:— **आपका आदेश क्रमांक/1856/शिक्षा./2023 दिनांक 01.03.2023।**

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश में संलग्न शिकायती आवेदन दिनांक 28.02.2023 श्री इन्द्रपाल सिंह पिठोरिया मालथौन द्वारा शिकायत विरूद्ध श्रीमती माया तिवारी, माध्यमिक शिक्षक शा.उ.मा.मि. बरारू जिला सागर की फर्जी नियुक्ति की जांच हेतु 03 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। समिति को निम्न बिन्दुओं पर जांच करने के निर्देश दिये गये:—

1. प्रथम नियुक्ति में आवेदन जमा होने से लेकर आदेश जारी तक की कार्यवाहीं की जांच।
2. नियुक्ति में आवेदन करते समय संलग्न किये गये दस्तावेजों का परीक्षण।
3. श्रीमती तिवारी द्वारा प्रथम नियुक्ति के समय लगाये दस्तावेजों में प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण—पत्र की जांच।
4. किस पात्रता के आधार श्रीमती तिवारी को पदोन्नति प्रदान की गई हैं।
5. क्या श्रीमती तिवारी द्वारा सेवा में रहते हुये उच्च शिक्षा प्राप्त की गई हैं। यदि हां तो क्या विभाग से अनुमति ली गई हैं।

बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 के संबंध में:— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मालथौन द्वारा दिनांक 10.03.2023 को श्रीमती माया तिवारी की नियुक्ति से संबंधित समस्त अभिलेख (नोटशीट सहित) की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत नस्ती में संबंधित द्वारा संविदा शाला वर्ग—3 हेतु आवेदन के साथ दिनांक 08.05.2003 में कक्षा—12वी की अंकसूची वर्ष 1996 अनुक्रमांक—22775133 में पूर्णांक—450 प्राप्तांक—270 प्रथम श्रेणी, डी.एड. अंकसूची (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन एजुकेशन) अनुक्रमांक—4860113 पास द्वितीय श्रेणी, निवास प्रमाण—पत्र, रोजगार कार्यालय पंजीयन संलग्न हैं।

म.प्र.राज्य पत्र दिनांक 01.08.2003 में उल्लेख है, कि किसी स्कूल में अध्यापन संबंधी अनुभव के लिए अधिकतम 20 अंक प्रदान किये जायेंगे। एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, चार वर्ष तथा पांच वर्ष के अनुभव के लिये क्रमशः 04, 08, 12, 16 एवं 20 अंक प्रदान किये जायेंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/नियुक्तिकर्ता अधिकारी जनपद पंचायत मालथौन एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मालथौन के संयुक्त हस्ताक्षर से संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 03 अंतिम चयन सूची अनारक्षित अन्य स्वीकृत पद 13 की सूची जारी की गई। जिसके सरल क्रमांक — 02 श्रीमती माया तिवारी पति श्री इन्द्रभूषण तिवारी जन्मतिथि 03.07.1973 निवासी रजवांस मालथौन को अहर्ता परीक्षा के 70 प्रतिशत के अनुसार 42 अंक, डी.एड

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा)

के 10 औपचारिक, शिक्षा अनुदेशक अनुभव के 16 अंक कुल 68 अंक के आधार पर श्रीमती माया तिवारी द्वारा संविदा शाला वर्ग–3 पर नियुक्ति प्राप्त की गई।

बिन्दु कमांक 03 के संबंध में:– विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कुरवाई जिला विदिशा द्वारा जारी अनुभव प्रमाण–पत्र के आधार पर कुमारी माया दुबे पुत्री श्री दुर्गाप्रसाद दुबे द्वारा दिनांक 25.11.1996 से 31.03.2001 तक अनुदेशक के पद औपचारिक शिक्षा केन्द्र रामगढ परियोजना कुरवाई में शिक्षण कार्य किया गया। जिसका अनुभव प्रमाण–पत्र दिनांक 01.05.2003 को जारी किया गया।

श्रीमती माया तिवारी के द्वारा नियुक्ति के समय औपचारिकेतर शिक्षा का अनुभव प्रमाण–पत्र की पुष्टि हेतु कार्यालय कलेक्टर जिला सागर के पत्र कमांक/2215/स.वि. लि.–2/2023 सागर, दिनांक 13.03.2023 द्वारा कलेक्टर जिला विदिशा को पत्र जारी कर अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न कर पुष्टि कराई गई। कार्यालय कलेक्टर विदिशा के पत्र कमांक/क्यू–2–ख/स्था./2023/5849 विदिशा,दिनांक 26.04.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि परियोजना कुरवाई के कार्यरत अनुदेशक के अभिलेखों का परीक्षण किया गया। श्रीमती माया तिवारी द्वारा दिनांक 25.11.1996 से 31.03.2001 की अवधि में अनुदेशक के पद पर कार्य करने संबंधी कोई अभिलेख नहीं पाया गया एवं न ही इनको मानदेय भुगतान संबंधी अभिलेख पाये गये। **अतः श्रीमती माया तिवारी द्वारा औपचारिकेतर शिक्षा में अनुदेशक के रूप में कार्य किया जाना प्रमाणित नहीं पाया गया।**

बिन्दु कमांक 04 के संबंध में:– वस्तु पूरक मूल्यांकन के आधार पर श्रीमती माया तिवारी का संविदा शाला वर्ग–3 से अध्यापक संवर्ग में संविलियन किया गया। तदोपरांत श्रीमती माया तिवारी द्वारा सेवा में रहते हुये डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से वर्ष 2008 में स्नातक डिग्री (बी.ए. संस्कृत) प्राप्त की। जिसके आधार विभाग द्वारा सेवा पुस्तिका में दर्ज मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सागर के आदेश कमांक/सहा.अ.पदो./2013/5504 सागर,दिनांक 22.07.2013 के द्वारा श्रीमती तिवारी को पदोन्नत किया गया।

बिन्दु कमांक 05 के संबंध में:– श्रीमती तिवारी द्वारा सेवा में रहते हुये बी.ए. एवं एम. ए. की डिग्री प्राप्त करने की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर अंकित हैं। परंतु अनुमति संबंधी दस्तावेज संलग्न नहीं हैं।

निष्कर्ष– प्रकरण में समस्त अभिलेखों के परीक्षण में पाया गया कि श्रीमती माया तिवारी पति श्री इन्द्रभूषण तिवारी द्वारा संविदा शाला वर्ग–3 की नियुक्ति के समय आवेदन में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कुरवाई जिला विदिशा द्वारा **दिनांक 25.11.1996 से 31.03.2001 तक अनुदेशक के पद पर औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्र रमगढ़ा में कार्य करने का फर्जी अनुभव प्रमाण–पत्र का लाभ लेते हुये नियुक्ति प्राप्त की गई। फर्जी अनुभव प्रमाण–पत्र की पुष्टि कार्यालय कलेक्टर जिला विदिशा के पत्र कमांक/क्यू–2–ख/स्था./5849 विदिशा,दिनांक 26.04.2023 के द्वारा की गई है।**

अतः प्रकरण में अभिलेखों के परीक्षण उपरांत पाया गया कि श्रीमती माया तिवारी द्वारा फर्जी अनुभव प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर नियुक्ति प्राप्त की हैं।

प्रतिवेदन सादर प्रस्तुत।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा)

(शशिकांत पौराणिक),
अतिरिक्त कोषालय अधिकारी,
जिला सागर

(अखिलेश पाठक),
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला सागर

(शशि मिश्रा),
डिप्टी कलेक्टर,
जिला सागर

वि. ह. मारो. प्र. क्र. 2130

परिशिष्ट "दो"
अनुलग्नक -13
35

कार्यालय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण सागर संभाग सागर

क्रमांक/शिकायत/सागर/2025/4827, /सागर,दिनांक23.05.2025

//आदेश//

श्रीमति माया तिवारी निलंबित माध्यमिक शिक्षक के विरूद्व विभागीय जांच प्रकरण में इस कार्यालय के पत्र कमांक/शिका./वि.जांच/सागर/2024/10115 सागर दिनांक 31–12–2024 द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी करते हुए म.प्र. सिविल सेवा(वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 15 के तहत विभागीय जांच प्रतिवेदन भेजकर प्रतिवाद चाहा गया था। श्रीमति माया तिवारी माध्यमिक शिक्षक शास.उ.मा. वि.बरारू जिला–सागर के द्वारा उक्त कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 31–12–2024 का लिखित प्रतिवाद दिनांक 06–01–2025 इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कुरवाई–जिला विदिशा के पत्र कमांक/अनुभव/03 कुरवाई दिनांक 01/05/2023 विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,कुरवाई एवं जिला शिक्षा अधिकारी विदिशा के संयुक्त हस्ताक्षर जारी अनुभव प्रमाण–पत्र को सही बताया गया तथा इसकी सबंधितों से प्रमाणित कराने का लेख किया गया। सागर संभाग के क्षेत्राधिकार में जिला विदिशा नहीं होने के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्र कमांक/शिकायत/सागर/2025/364 सागर दिनांक 09.01.2025 द्वारा श्रीमति माया तिवारी के उक्त अनुभव प्रमाण पत्र का संबंधित कार्यालयों से सत्यापन कराए जाने के लिए आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल को भेजकर अनुरोध किया गया । जिसकी वरिष्ठ कार्यालय से विहित जानकारी/प्रमाणीकरण अपेक्षित है।

श्रीमति माया तिवारी माध्यमिक शिक्षक (निलंबित)शासकीय उ0मा0वि0बरारू विकासखण्ड सागर जिला–सागर का आवेदन पत्र दिनांक 22.05.2025 प्रस्तुत किया गया, जिसमें लेख किया गया है कि मेरी आर्थिक स्थिति खराब है व मेरे बच्चों की पढाई प्रभावित होने के कारण निलम्बन/जीवन यापन भत्ता बढाये जाने का अनुरोध किया गया है। अतः श्रीमति माया तिवारी निलम्बित माध्यमिक शिक्षक के अभ्यावेदन दिनांक 22.05.2025 पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जीवन निर्वाह–भत्ता 50 प्रतिशत से बढाकर 75 प्रतिशत किया जाता है।

(हस्ताक्षर) 23/5/25
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण संभाग–सागर

पृ.कमांक/शिकायत/सागर/2025/4828, /सागर,दिनांक23.05.2025

प्रतिलिपिः–

1:– आयुक्त, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल।
2:– आयुक्त सागर–संभाग,सागर।
3:– कलेक्टर जिला–सागर।
4:– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत–सागर।
5:– जिला शिक्षा अधिकारी जिला–सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6:– विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7:– प्राचार्य शास.उ.मा.वि.बरारूजिला–सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8:– श्रीमति माया तिवारी माध्यमिक शिक्षक (निलंबित)शासकीय उ0मा0वि0बरारू विकासखण्ड सागर जिला–सागर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा)

(हस्ताक्षर)
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण संभाग–सागर